

अधिसारी अभियंता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड- द्वितीय,  
मु अरनोद, प्रतापगढ़ (राज.)।

विषय :- DIVERSION OF 4.62 HA. OF FOREST LAND IN FAVOUR OF Public Works Departement,  
Rajsthan FOR CONSTRUCTION OF UPGRADATION RURAL ROAD FROM T11-SUHAGPUR TO  
ACHALAWDA UPTO BLOCK BORDER ROAD KM 0/0 TO 8/000 IN DIST -PRATAPGARH (RAJ)  
(FCA Proposal No.- FP/RJ/ROAD/127971/2021).

संदर्भ :- उप वन महा निरीक्षक (केंद्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के  
पत्रांक के पत्रांक 8बी/राज.002/2024 जे.पी.आर. दिनांक 13.11.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 11622-25 दिनांक  
09.12.2024, पत्रांक क्रमांक / एफ( ) / एफसीए / उवस / 2025 / Rajkaj Ref.No.19865104 दिनांक 11.1.2026  
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है उप वन महा निरीक्षक (केंद्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के पत्रांक के पत्रांक 8बी/राज.002/2024 जे.पी.आर. दिनांक 13.11.2024 से विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। जिस के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 11622-25 दिनांक 09.12.2024 से इस विषयांकित प्रकरण में डिमांड नोट जारी किया गया था, आप कार्यालय के द्वारा 1 वर्ष के बाद अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर से डिमांड नोट के सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था उच्च कार्यालय के द्वारा इस कार्यालय को निर्देशित किया है की क्षमिक दर 285 रु के अनुसार नया डिमांड नोट जारी करे।

आप कार्यालय से हुई यार्ता के क्रम में इस कार्यालय से जारी डिमांड नोट को आप कार्यालय के द्वारा परीवेश पोर्टल पर अपलोड करने पर डिमांड नोट की मांग राशि 1,21,01,557.00/- Recieved Amount 1,21,01,600.00/- प्रदर्शित हो रही है को /- Recieved Amount राउंड अप कर के 1,21,01,600.00/- नया डिमांड नोट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

आप उप वन महा निरीक्षक (केंद्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के पत्रांक के पत्रांक 8बी/राज.002/2024 जे.पी.आर. दिनांक 13.11.2024 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट तथा भारत सरकार की शर्त संख्या-A 1, 2 की आवश्यक धनराशि (तालिकानुसार) केम्पा फण्ड में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की शर्त संख्या A 8 के अनुरूप ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर इस कार्यालय में जमाप्रति प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	भारत सरकार की शर्त संख्या	मांग राशि (रुपये में)
1	शर्त संख्या - A 1 Compensatory Afforestation(C.A.) NFL- 5.00 ha.	76,76,650.00/-
2	शर्त संख्या - A 2 Net Present Value (NPV) - 4.62 ha.	44,24,950.00/-
Total		1,21,01,600.00/-

भारत सरकार की शर्त संख्या A 5.13, के अनुरूप आवश्यक धनराशि (तालिकानुसार) उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ के नाम से डिमांड ड्रॉपट (डी.डी.) बनाकर प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	भारत सरकार की शर्त संख्या	मांग राशि (रुपये में)
1	शर्त संख्या - A 6 Boundary Pillar of the diverted forest land R.O.W (94 Pillar)	12,97,200/-
2	शर्त संख्या - A 1 Boundary Pillar of the Non forest land ( 12 Pillar)	1,65,600/-
Total		14,62,800/-

अतः उप वन महा निरीक्षक (केंद्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर पत्रांक के पत्रांक 8बी/राज.002/2024 जे.पी.आर. दिनांक 13.11.2024 द्वारा लगाई गई संपूर्ण शर्तों की स्पष्ट पालना प्रतिवेदन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23रु/2012-एफ.सी. दिनांक 24.01.2013 के अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन जी टी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिंदी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना प्रतिवेदन के रिपोर्ट के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी स्तर में नहीं करें। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किया जाता है तो आपके विभाग के जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी।

(सुरेश अग्रवाल)  
उप वन संरक्षक,  
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक :- ई-साईन तिथि

27/3/2026

क्रमांक / एफ( ) / एफसीए / उवस / 2025 / Rajkaj-Ref.No.

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रतापगढ़ प्रेषित कर लेख है कि बिना राक्षम अनुमति मौके पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं हो।

उप वन संरक्षक,  
प्रतापगढ़